धारा–3 संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र। (राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा)

- किसी क्षेत्र को नगर पंचायत/नगर पालिका घोषित कर सकते है।
- सीमा को परिभाशित कर सकते।
- नगर पालिका से कोई क्षेत्र शामिल कर सकते।
- पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर सकती।

1. नगर पालिका अधिनियम 1916
2. नगर निगम अधिनियम 1959

उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय श्रेणी

08.10.2010

क्र.सं.	निकाय प्रकार	जनसंख्या	
		मैदानी	पर्वतीय
01	नगर पंचायत	5 हजार तक	05 हजार तक
02	नगर पालिका परिषद		
	श्रेणी – एक	एक लाख से 1.25 लाख कम	75 हजार से 1 लाख तक
	श्रेणी – दो	75 हजार से 1.00 लाख	35 हजार से 50 हजार तक
	श्रेणी – तीन	50 हजार से 75 हजार	25 हजार से 35 हजार तक
	श्रेणी – चार	5 हजार से 50 हजार से अधिक	25 हजार तक
03	नगर निगम	1.25 लाख से अधिक	1.00 लाख से अधिक

12 जून,2015 के आधार पर निकाय हेतु अन्य पात्रता

नगर निगम	संख्या 08
श्रेणी – एक	5 लाख से अधिक जनसंख्या
श्रेणी – दो	2 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या
श्रेणी – तीन	2 लाख से कम जनसंख्या
नगर पालिका परिषद	संख्या 43
श्रेणी – एक	स्वंय के श्रोत से आय 1 करोड या अधिक एवं जिला मुख्यालय की पालिका जिनकी स्वंय श्रोत से आय 50 लाख से अधिक
श्रेणी – दो	स्वय के श्रोत आय 50 लाख से अधिक षेश मुख्यालय की तथा पालिका जिनकी जनसंख्या 50 हजार से अधिक
श्रेणी – तीन	नगर पालिका श्रेणी (शेष 14)
नगर पंचायत	संख्या 52
श्रेणी – एक	जनसंख्या 10,000 से अधिक
श्रेणी – दो	जनसंख्या 10,000 से कम

नगर पालिका की संरचना

1. नगर पंचायत/नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य
2. पदेन सदस्य
   - लोक सभा एवं विधान के एसे सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो।
   - राज्य सभा के एसे सदस्य जो नगर पालिका का क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रुप में रजिस्ट्रिकृत हो।
3. नामित सदस्य

धारा 7 : नगर पालिका के कर्तव्य

क. सार्वजनिक सडको व स्थानों पर रोशनी/पानी

ख. सार्वजनिक सड़कों, स्थानों, और नालियों की सफाई करना, हानिकारक वनस्पति हटाना

ग. खतरनाक भवनों को सुरक्षित बनाना या हटाना

घ. सार्वजनिक सड़को, पुलियों, बाजारों वधशालाओं, शौचालयों, मूत्रालयों, नालियों का निर्माण, परिवर्तन एंव अनुरक्षण

ड़. जन्म–मुत्य, रजिस्ट्रेशन

च. नगर पालिका की वित्त को संतोषप्रद स्थिति में रखना।

छ. शासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना।

इस प्रकार 26 उपबन्ध है।

धारा 8 : नगरपालिका के वैवेकिक कृत्य

क. नवीन सार्वजनिक सड़कों का विन्यास

ख. मास्टर प्लान तैयार करना व निष्पादित करना

ग. पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय आदि लोकोपयोगी कार्यों का निर्माण

घ. जनगणना करना

ड़. स्थानीय विपत्ति पर सहायता कार्यों की स्थापना

च. कूडा–करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना

छ. मेले व प्रदर्शनिया लगाना

ज. पयटक यातायात में अभिवृद्धि करना।

इस प्रकार 22 उपबन्ध है।

कार्य संचालन

धारा 86 : नगर पालिका की बैठकें

1. नगर पालिका की कम से कम एक बैठक प्रतिमास उस दिन होगी जो विनियम द्वारा निश्चित की जाय।
2. अध्यक्ष जब उचित समझे एक बैठक बुला सकता है। पंचमांष से अन्य्न सदस्यों के लिखित अधियाचन पर प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर,
3. अध्यक्ष अभिलिखित कारणों से बैठक स्थगित कर सकता है।
   - बैठक अगले दिन या किसी परचातवर्ती दिन के लिए स्थगित की जा सकती है।
4. अध्यक्ष उस सदस्य के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा जो नगर पालिका से स्वीकृति प्राप्त किय बिना नगर पालिका की बैठकों में लगातार तीन मास तक अथवा तीन बैठकों में जो अवधि दीर्घ हो अनुपस्थित रहा हो।

धारा 87 : बैठकों में कार्य सम्पादन

1. किसी भी बैठक में कोई भी काय किया जा सकता है, परन्तु कोई एसा काय जो विशेष संकल्प द्वारा किया जाना आपेक्षित हो तभी किया जायगा। जब तक कि एसा काय करने का नोटिस न दे दिया गया हो।

2. गणपूर्ति : धारा 88

- विशेष सकंल्प द्वारा किय जाने वाले काय हेतु यह आवश्यक होगा कि एसे सदस्यों के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हो।
- विशेष संकल्प से भिन्न बैठक में कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्य उपस्थित हो।
- परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक अल्प दिनांक हेतु स्थगित कर देगा तथा उस दिनांक को भले ही सदस्यों की संख्या में कोई कमी हो।

बैठक का अध्यक्ष

यदि किसी बैठक में न तो अध्यक्ष उपस्थित हो न ही उपाध्यक्ष तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे और अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

अध्यक्ष की शक्ति

कोई सदस्य या व्यक्ति जानबूझकर बैठक में विघ्न डालता है, तो अध्यक्ष उस सदस्य को बैठक से निकल जाने के आदेश दे सकता है, एसा न करने पर एसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो उसे हटाने के लिए आवश्यक हो या जिसके आवश्यक होने का उसे सद्भावपूर्वक विश्वास हो।

धारा 92 : मतदान द्वारा विनिश्चय

- एसे प्रश्न जो किसी बैठक में उत्पन्न हो उसका विनिश्चत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा।
- मतों के बराबर होने की दशा में बैठक का अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

धारा 94 : कार्यवृत्त पुस्तिका और संकल्प

- नगर पालिका की बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम की गयो कायवाही और पारित संकल्प एक पुस्तिका में जो कायवृत्त पुस्तिका कहलायगी।
- अधिशासी अधिकारी एक उपस्थिति पंजिका रखेगा। जिसमें भाग लेने से पूर्व प्रत्यक सदस्य हस्ताक्षर करेगा।
- कायवृत्त को उस बैठक या उसके ठीक बाद की बैठक में पढ़ा जायगा तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जायगा। जब तक बहुमत द्वारा आपत्ति न करे।

धारा 43 घ

- राज्यनिष्ठा व पद की शपथ
- गठन अथवा पुर्नगठन 7 दिन के अन्दर बैठक बुलायगा। जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्षता/जिला मजिस्ट्रेट/द्वारा नियुक्त डिप्टी कलैक्ट्रर

धारा 333 गठन होने तक नगर पालिका शकित का प्रयोग

धारा 318 नगर पालिका के आदेश के विरुद्ध अपील

धारा 180 (1), 186, 204, 205(1), 208, 211, 212, 222(6), 241(2), 245, 278, 285 या धारा 298 के अधीन तैयार उपविधि क्षुब्ध कोई व्यक्ति– आदेष के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामित/जिला मजिस्ट्रेट

धारायें/विषयः विहित प्राधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी शक्तियॉ

धारा 32 विहित प्राधिकारी की शक्ति/पर्यवेक्षण

1) निर्माण काय का निरीक्षण कर सकता
2) या एसे अधिकारी द्वारा जो परगनाधिकारी के पद से कम न हो निरीक्षण करवा सकता है।
3) बही/खाते
4) कायवाहियों, विवरण, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा

धारा 33 सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यो तथा संस्थाओं का निरीक्षण–जिसे राज्य सरकार इस निमिन्त नियुक्त करें।

धारा 32 राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को नगर पालिका के संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन को प्रतिबन्ध करन की शक्ति।

विहित प्राधिकारी यदि संकल्प व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई बाधा, क्षोभ या क्षति पहुँचे या सम्भावना हो।

जिला मजिस्ट्रेट यदि संकल्प से उसकी राय में मानव जीवन या स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो या सम्भावना हों या वलवा या देगा हो या सम्भावना हो। आदेश तभी स्थायो होगा राज्य सरकार द्वारा विखण्डित या उपान्तरित न कर दिया जाय। जिला मस्ट्रिेट सकारण सूचना राज्य सरकार को देगा यदि नही दी जाती तो आदेश स्थायो नही।

धारा 35 नगर पालिका के चूक करने की दशा में राज्य सरकार/विहित प्राधिकारी की शक्ति कर्तव्य पालन हेतु आदेश व समय निश्चित पालन करने पर विहित प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या डिप्टी कलैक्ट्रर को पालन करने हेतु नियुक्त कर सकता। नगर पालिका द्वारा नियत समय में जिला मजिस्ट्रेट को भुगतान किया जायगा।

धारा 36 आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्तिया विहित प्राधिकारी की अनुमति से एसे निर्माण काय का निष्पादन कर सकता जिसकी नगर पालिका को शक्ति प्राप्त हो। यदि जनता की सुरक्षा, संरक्षण या सुविधा हेतु आवश्यक हो। व्यय का भुगतान नगर पालिका द्वारा।

धारा 128 1) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर

धारा 140 1. वार्षिक मूल्य

क) होटलों, रेलवे स्टेशन, स्कूलों,

$$\left(\begin{array}{l}\text{भवन निर्माण की}\\ \text{वर्तमान लागत}\end{array} + \begin{array}{l}\text{भूमि की}\\ \text{लागत}\end{array}\right) \text{X5\%}$$

ख) कर के अतिरिक्त वार्षिक किराये का 5%

2. नगर पालिका–न्याय संगत वार्षिक मूल्य तय

धारा 141 कर निर्धारण सूची

क) मौहल्ले का नाम

ख) मकान संख्या

ग) स्वामी व अध्यासी का नाम

घ) वार्षिक मूल्य (किराया)

ड़) निर्धारित कर धनराषि

धारा 142 सूची का प्रकाशन

धारा 143 आपत्तियॉ / निस्तारण

धारा 144 कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष

धारा 147 नाम परिवर्तन (दाखिल–खारिज)

धारा 160 अपील (जिला मजिस्ट्रेट)

उपनियम बनाने की षक्ति (नियम, उपविधियॉ)

नगर निगम	540	राज्य सरकार द्वारा Guidance (पथप्रदर्शनार्थ) Model Rules.
	541	नगर निगम उपविधियॉ (49 विषय)
नगर पालिका	296	राज्य सरकार
	297	नगर पालिका–विशेष सकंल्प

स्थानीय निकाय आय

1) निजी श्रोत

1) भवन कर
2) दुकान किराया
3) तहबाजारी
4) पार्किंग
5) लाईसैंस (रिक्शा, ठेला, होटल, शराब की दुकानों, पावर)
6) विज्ञापन

(2) केन्द्र व राज्य सरकार से अनुदान

I) 1) राज्य वित्त आयोग
2) 14वें वित्त आयोग
3) अवस्थापना विकास
4) पयटन विभाग
5) सांसद/विधायक निधि
6) विकास शुल्क

II) विषेश योजनाओं में
1) HFA
2) SBM
3) NULM
4) AMRUT

अधिशासी अधिकारी के कार्य

1) वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करना।
2) विभिन्न मदों में लाईसेंस जारी करना।
3) अनुमति देना– विज्ञापन आदि
4) करों के बिल जारी करना
5) वसूली करवाना/आर.आर.सी. जारी करना
6) मा. उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना एवं आदेश का अनुपालन
7) शासन/आयुक्त/जिलाधिकारी को वांछित सूचना प्रेषण।
8) लोक सूचना अधिकारी के काय
9) सेवा का अधिकार के काय
10) कक्षों का परिसीमन
11) जनगणना करवाना
12) धारा 60 के अन्तर्गत काय
13) संविदा/ठेके–अनुबन्ध
14) धारा 75– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति/दण्ड

निगम के अनिवार्य कर्तवय धारा–114 (42)

निगम प्राधिकारियों के कृत्यों का विभाजन– 116/117

1) निगम प्रशासन (Corporation Administration) का अधीक्षण के लिए–कायकारिणी समिति

2) विकास समिति — अध्यक्ष 14–कृत्य,

   1). विकास योजनाओं

   2). बस्ती सुधार

   3). योजना तैयार करना आदि

3) कायपालिका के अधिकार (Excutive Powers) नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी

नगर निगम

1) निगम का सगंठन

1) मेयर / महापौर / नगर प्रमुख

2) पार्षद

3) षासन द्वारा नामित –10 सदस्य

4) पदेन सदस्य– विधायक / सांसद

वर्ष में कम से कम 6 अधिवेषन

गणपूति

1) विशेष संकल्प : सदस्यों के आधी संख्या (1 / 2)

2) अन्य : (1 / 5)

समितियॉ

1) कार्यकारिणी समिति मेयर–अध्यक्ष, 12 पार्शद 53

2) विकास समिति उप मेयर–अध्यक्ष 54

10 पार्षद, 2 अनुभवी व्यक्ति

नगर आयुक्त : कृत्य

धारा 117

1. कायपालिका के अधिकार (Excutive Powers) नगर आयुक्त में निहित
2. नगर आयुक्त
   - निगम अधिकारियों तथा सेवकों के कर्तव्य विहित करेगा, तथा उनके कार्यो कायवाहियों का निरीक्षण व नियंत्रण।
   - आपातकाल में जनता की सेवा व सुरक्षा तथा निगम संपत्ति रक्षा हेतु तत्काल कायवाही करेगा। तथा कायकारिणी समिति व निगम को तत्काल सूचित करेगा। व्यय बतायगा।

119 (घ) नगर आयुक्त किसी कर्मचारी को अपने कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगा। परन्तु अनूसची 1(घ) को छोडकर

1. निदिश्ट पदों पर नियुक्त करना (107)
2. नगर के शहर व भीतर चल व अचल संपत्ति अर्जित करना (127)
3. संपत्ति का निस्तारण (129)
4. भवन को नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना गिराने की आज्ञा देना (280)
5. निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना आदि (290)

नगर निगम

संपत्ति कर (सामान्य कर भवन कर आदि)

धारा 173 वार्षिक मूल्य के 22% से कम 32 % से अधिक न होगा

सामान्य कर वार्षिक मूल्य के 10 % से कम 15 % से अधिक न होगा

धारा 174 क) वाणिज्यक भवनों

(भूमि + भवन मूल्य)X5%

(यू.पी. में प्रतिवर्ग फुट दर का 12 गुणा)

ख) नगर आयुक्त द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में वार्डवार मासिक किराया दरें प्रतिवर्ग फुट तय की जायेगी।

कापरपेट एरिया क) कमरों की पूर्ण माप

ख) बरामदा पूर्ण माप

ग) बालकनी–काराडोर का 5%

घ) गैराज का 25%

ड़) स्नानगृह, पोर्टिको, शौचालय, सीढी का क्षेत्र–0

विशेष संकल्प नगर निगम

धारा 174 3(2)

वार्षिक मूल्य सें

क) भवन

10 वर्ष से अधिक पुराना नही–25% कम

10 वर्ष से अधिक व 20 वर्ष से कम पुराना–32.5 % कम

20 वर्ष से अधिक पुराना–40% कम

ख) किराये के भवन

यदि 10 वर्ष कम पुराना–25 % अधिक

10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम पुराना–12.5% अधिक

20 वर्ष से अधिक पुराना–वार्षिक मूल्य के बराबर

कर निरीक्षक के मुख्य कार्य

1. भवन कर बिल तैयार करवाना/जारी करना
2. भवन का निरीक्षण/मूल्यांकन हेतु
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्य
4. नगर निगम सम्पत्ति/दुकान आदि पर अतिक्रमण जॉच
5. तहबाजारी/शो टैक्स/दुकान किराया वसूली
6. अन्य कार्य जो अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये जाय।

सहायक लेखाकार/लेखाकार

1. प्रतिदिन कैश बुक तैयार करना बैक में धनराशि जमा करवाना
2. बजट तैयार करना
3. प्रत्येक माह आय–व्यय रिपोर्ट तैयार
4. बैंक खातों का रखरखाव
5. चैंक तैयार करना
6. लेखा सम्बन्धी अन्य कार्य जो अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये जाय।